प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं0

1. जिला **ओपी एसीबी, जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर** थाना **प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यू0 जयपुर** वर्ष **2023**
प्र0इ0रि0 सं. 260/**2023**............................दिनांक 24.09.2023

2. (I) * अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण **अधि.(यथा संशोधित 2018)** ...... धाराये..........**7 व 12**
(II) * अधिनियम ....धारायें .... भादस..
(III) * अधिनियम .... धारायें ....
(IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....494.......................... समय 6.30PM
(ब) * अपराध घटने का वार.....**शनिवार**......दिनांक....23.09.2023 समय 12.37 **पी.एम से**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक **22.09.2023**

4. सूचना की किस्म :–लिखित/मौखिक– **लिखित**

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–6 किलोमीटर
(ब)*पता........ ....
....बीट संख्या.........................जयरामदेही सं................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम श्री नानगराम
(ब) पिता/पति का नाम श्री भागुता
(स) जन्म तिथी/वर्ष 26 साल...
(द) राष्ट्रीयता ....भारतीय..
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि ....
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय ....
(ल) पता – निवासी– भगवतपुरा तहसील निवाई जिला टोंक

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –

1– श्रीमती संगीता महर पत्नी श्री रामहंस मीणा जाति मीणा उम्र 31 साल निवासी ग्राम पोस्ट समलेटी तहसील महवा, जिला दौसा हाल निवासी– क्वार्टर नम्बर 04, पुलिस थाना सांगानेर जयपुर हाल कानिस्टेबल नम्बर 11185 पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर पूर्व आयुक्तालय जयपुर।

2– श्री वेदप्रकाश पुत्र श्री पूरण सिंह जाति प्रजापत उम्र 31 साल निवासी गांव बसईया तहसील नदबई जिला भरतपुर हाल निवासी– क्वार्टन नम्बर 23, पुलिस थाना आर्दश नगर परिसर जयपुर हाल कानिस्टेबल नम्बर 11210 पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर पूर्व आयुक्तालय जयपुर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–..
......................................———..

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)....
............................रिश्वती राशि ......3,000/– रूपये **व 1000 रूपये।**

10. * चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य रिश्वती राशि 3,000/– रूपये **व 1000 रूपये।**

11. * पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

निवेदन है कि दिनांक 22.09.2023 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर ने मन् पुलिस निरीक्षक रजनी मीणा को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया तथा उनके सामने बैठे एक व्यक्ति से मेरा परिचय करवाया, जिसने अपना नाम नानगराम पुत्र भागुता निवासी– भगवतपुरा तहसील निवाई टोंक होना बताया। इसके पश्चात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पृष्ठांकित कर मुझे अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया जिस पर मै परिवादी व उसके प्रार्थना पत्र को लेकर मेरे कार्यालय कक्ष में आई तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो प्रार्थना पत्र इस आशय का था कि "श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों चौकी चतुर्थ जयपुर शहर विषयः– संगीता महीला कानि. थाना जवाहर सर्किल जयपुर द्वारा 5000 रू. रिश्वत मांगने व 500 रू. एडवांस प्राप्त करने बाबत। महोदय, निवेदन है कि दि. 20.09.2023 को मेने पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर में एक शिकायत संख्या 278770042300512 दि. 20.09.23 श्री रामवतार सौलंकी के खिलाफ 10 हजार रू उधार के नही देने तथा मांगने पर धमकी देने के कारण में दर्ज कराई थी रिपोट दर्ज करने की एवज में थाने को पदस्थापित महिला कानि. संगीता ने मेरे से 500 रूपये दिनांक 20.09.2023 को रिश्वत के रूप में प्राप्त कर लिए तथा अब शिकायत का निस्तारण करने के लिए 5000/– रूपये मेरे से रिश्वत के मांग रही है इस प्रकरण में मेरे व रामवतार सौलंकी के यहा दिनांक 21.9.23 को राजीनामा भी हो चुका है। श्रीमान मेने परिवाद दिया था और मेरे से ही 500 रू शिकायत दर्ज करने के प्राप्त कर लिए तथा अब संगिता द्वारा मेरे फोन नम्बर 8875378858 पर उनके मोबाईल न. 9660767244 से आज दिनांक 22.9.23 को बार बार फोन कर 5000/–रूपये रिश्वत की मांग कर रही। में उसको रिश्वत नहीं देना चाहता हुॅ व मेरी उससे कोई रंजीश व बकाया शेष नहीं है। संलग्न 500/–रूपये के नोट की फोटो– प्रार्थी एसडी नानगराम s/o पिता भागुता, पता भगवतपुरा तहसील निवाई जिला टोंक मोबाइल. न. 8875378858" इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री नानगराम से पुनः नाम पता पूछा तो उसने पूर्व वाला अपना नाम पता बताया तथा मजिद दरियाफ्त करने पर बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा हस्तलिखित है तथा परिवादी ने बताया कि श्री रामवतार सौलंकी के खिलाफ 10 हजार रू उधार के नही देने तथा मांगने पर धमकी देने के कारण पुलिस थाना जवाहर सर्किल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोट दर्ज करने की एवज में थाने में पदस्थापित महिला कानि. संगीता ने मेरे से 500 रूपये दिनांक 20.09.2023 को रिश्वत के रूप में प्राप्त कर लिए तथा अब शिकायत का निस्तारण करने के लिए 5000/– रूपये मेरे से रिश्वत के मांग रही है इस प्रकरण में मेरे व रामवतार सौलंकी के परिजनों के बीच दिनांक 21.9.23 को राजीनामा भी हो चुका है। श्रीमान मेने परिवाद दिया था और मेरे से ही 500 रू शिकायत दर्ज करने के प्राप्त कर लिए है। मजीद दरियाफ्त एवं प्रार्थना पत्र से मामला प्रथम दृष्टया लोकसेवक द्वारा रिश्वत की मांग का पाया जाता है। जिसके लिए परिवादी से संदिग्ध कर्मचारी से रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। इसके पश्चात श्री इन्द्र सिंह कानि0 148 को मन पुलिस निरीक्षक के कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री नानगराम से परिचय करवाया गया तथा कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर निकालकर उसमें नया मेमोरी कार्ड डालकर दोनों का खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री नागनराम को चलाने व बंद करने की विधि समझाई जाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी को सुपुर्द किया गया। परिवादी को मुनासिब हिदायत की गई कि आरोपी के पास जाकर उससे स्वयं की रिपोर्ट से संबंधित कार्य के लिए रिश्वत राशि के सम्बन्ध में बातचीत करें और सम्बन्धित वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें। श्री इन्द्र सिंह कानि0 148 को मुनासिब हिदायत देकर परिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन हेतु पुलिस थाना जवाहर सर्किल के लिए रवाना किया गया। बाद सत्यापन कार्यवाही कानि. इन्द्र सिंह न. 148 व परिवादी श्री नानगराम कार्यालय में उपस्थित आये एवं बंद डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर श्री इन्द्र सिंह कानि. न. 148 ने मन पुलिस निरीक्षक को पेश किया व परिवादी श्री नानगराम ने बताया कि मैं व इन्द्र सिंह कानि. आपके कार्यालय से रवाना होकर पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर के पास पहुंचे जहां पर श्री इन्द्र सिंह कानि ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालु करके

मुझे सुपुर्द किया व पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर में रिश्वत मांग संबन्धित वार्ता करने के लिए रवाना किया व श्री इन्द्र सिंह कानि. पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर के बाहर ही रूक गये। मैं पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर के अन्दर गया तो मुझे वेदप्रकाश कानि मिला, जिसने मुझे महिला कानि संगीता से मिलवाया तो उसने वेदप्रकाश के पास जाने के लिए ईशारा किया तो मै वेदप्रकाश कानि के पास गया तो वेदप्रकाश ने मेरे से पहले शराब की बोतल की मांग की तथा मेरे द्वारा दिये गये परिवाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहने के संबंध में प्रार्थना पत्र लिखवाया तथा एक बोतल शराब की मांग की। मैने बोतल देने के लिए मना किया तो वेदप्रकाश कानि ने मेरे से शिकायत निस्तारण करने की एवज में 2000 रू स्वयं के लिए एवं 2000 रू महिला कानि0 के लिये रिश्वत की मांग की तथा एटीएम से पैसे अभी लाकर देने की कहा, जिस पर मैंने एटीएम पर जाकर वेदप्रकाश को फोन किया कि मेरा एटीएम काम नहीं कर रहा तो उसने कहा कि वापस थाने आ जा। वार्ता होने के बाद वापस आकर मैने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर श्री इन्द्र सिंह कानि. को वापस सुपुर्द किया जिन्होने वाईस रिकॉर्डर को बन्द किया। मैं व कानि. इन्द्र सिंह कानि पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर से रवाना होकर वापस एसीबी कार्यालय आये है। श्री इन्द्र सिंह कानि. ने भी श्री नानगराम के कथनो की ताईद की। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को लेपटॉप में लगाकर सरसरी तौर पर सुना तो वार्ता में रिश्वत मांग सत्यापित होना पायी गई। वार्ता सुनने के उपरांत मेमोरी कार्ड लगे हुए डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को बन्द कर सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखा गया तथा परिवादी श्री नानगराम को कल दिनांक 23.09.2023 को रिश्वत राशि लेकर समय 09.00 एएम पर कार्यालय उपस्थित होने व गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री हवा सिंह मुख्य आरक्षक को स्वतंत्र गवाहान व समस्त कार्यालय स्टॉफ को कल दिनांक 23.09. 2023 को कार्यालय उपस्थित होने के लिए पाबन्द करने व ट्रैप बॉक्स तैयार करने के निर्देश दिये। दिनांक 23.09.2023 को मन् पुलिस निरीक्षक, एसीबी स्टॉफ, परिवादी श्री नानगराम व पूर्व में पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री शम्भुदयाल चन्देल पुत्र श्री सुवालाल उम्र 56 साल, जाति चंदेल पेशा नौकरी, निवासी मकान न 5एमबी/112 चम्बल मार्ग, आई.जी. नगर. खातीपुरा रेल्वे स्टेशन के सामने जगतपुरा जयपुर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय मुख्य अभियंता सेक्शन –7 सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर, व श्री सोहनलाल आर्य पुत्र श्री बद्रीप्रसाद आर्य, उम्र 59 साल, जाति माली, पेशा नौकरी, निवासी–मु.पोस्ट भोनावास तहसील पावटा जिला जयपुर हाल निवासी किराये पर– प्लॉट न 59, खिरणी फाटक, तारानगर डी जयपुर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय मुख्य अभियंता सेक्शन –7 सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर उपस्थित कार्यालय आये। उक्त दोनो स्वतंत्र गवाह से ट्रैप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाहने पर उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान द्वारा अपनी मौखिक सहमति प्रदान करने पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढवाया गया तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाहान् व परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात समय 11.30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी नानगराम को श्रीमती संगीता महिला कानि व श्री वेदप्रकाश कानि पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा, जिस पर परिवादी नानगराम ने अपने पास से 500–500 रूपये के 08 नोट कुल 4,000/–रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर मन् पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर को पेश किये। परिवादी द्वारा पेश शुदा नोटो को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नोटो के नम्बरो का अंकन फर्द में करवाकर नम्बरों का मिलान स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्री प्रतीक मील कनिष्ठ सहायक भ्र. नि. ब्यूरो जयपुर नगर तृतीय जयपुर से कार्यालय की अलमारी से फिनोफ्थैलीन पाऊडर की शीशी निकलवाकर मंगवाई जाकर फिनोफ्थैलीन पाउडर एक अखवार पर निकलवाकर 4,000/– रूपये के नम्बरी नोटो पर श्री प्रतीक मील से भली–भांति से लगवाया गया। इसके बाद परिवादी श्री नानगराम की जामा तलाशी गवाह श्री शम्भुदयाल से लिवाई जाकर उसके पास पहने हुये कपडों व मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं मिलने पर परिवादी के पास मोबाईल फोन छोडा गया। इसके बाद श्री प्रतीक मील कनिष्ठ सहायक से फिनोफ्थैलीन पाउडर लगे

हुऐ 4,000/– रूपये के नोट परिवादी नानगराम की पहनी हुई पेन्ट की सामने की नीचे की दाहिनी तरफ की जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईश की गई कि अब इन पाऊडर युक्त नोटो को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही निकालकर देवे अगर अभिवादन की आवश्यकता हो तों हाथ जोडकर अभिवादन करे हाथ नही मिलावे तथा आरोपी उक्त नोटो को प्राप्त करके कहां रखता है इसका ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस्ड काल कर ईशारा करे व दोनो गवाहो को भी हिदायत दी गई कि आप यथासम्भव परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का प्रयास करें साथ ही समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो को भी आवश्यक हिदायतें दी गई। ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिवादी व स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। इसके बाद एक प्लास्टिक के डिस्पोजेबल पारदर्शी नये गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया और ट्रेप बोक्स से सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशी निकलवाकर मंगाई जाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त गिलास में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त गिलास के घोल में नोटो पर फिनोफथैलीन पाऊडर लगाने वाले श्री प्रतीक मील कनिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना बताया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो गवाहो को फिनोफ्थैलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया व बताया गया कि आरोपी के द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर उक्त प्रक्रिया अपनाई जावेंगी तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की शीशी को ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद श्री प्रतीक मील कनिष्ठ सहायक से गिलास के धोवन को कमरे से बाहर फिकवाया गया और काम में लिये गये अखवार व प्लास्टिक के डिस्पोजेबल पारदर्शी गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों को साबुन पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों–कांच की खाली शीशीयां मय ढक्कन, चम्मच आदि को साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो गवाहान, परिवादी तथा, ट्रेप पार्टी के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह से धुलवाये गये व परिवादी को छोडकर दोनों गवाहान तथा सभी ट्रेप पार्टी सदस्यों व मन् पुलिस निरीक्षक की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो दोनो गवाहो के पास मोबाईल फोन तथा मन् पुलिस निरीक्षक एवं ट्रेप पार्टी के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादी को रिश्वत लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर मय 32 जीबी मेमोरी कार्ड को चालू व बन्द करने की विधि समझा कर उसकी पहने हुये शर्ट की उपरी जेब में रखवाया जाकर आवश्यक हिदायत दी गई व श्री प्रतीक मील कनिष्ठ सहायक को कार्यालय में ही छोडा गया। इसके पश्चात समय 11.50 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक रजनी, श्री मूलचन्द मीणा,पुलिस निरीक्षक मय श्री रतनदीप सहायक उप निरीक्षक, श्री हवासिंह हैड कानि 09, श्री सरदार सिंह कानि न 187, श्रीमती नीलम कानि. नं. 22 व श्री रोहित सेपट, क0लि0, स्वतंत्र गवाह श्री शम्भुदयाल व श्री सोहनलाल एवं मय लैपटॉप प्रिन्टर मय ट्रैप बॉक्स मय अन्य सामग्री के साथ मय सरकारी वाहन चालक के एसीबी कार्यालय से ट्रेप कार्यवाही के लिए रवाना हुए तथा परिवादी श्री नानगराम के साथ मोटरसाईकिल पर श्री इन्द्र सिंह कानि नं. 148 को रवाना किया। समय करीब 12.15 पीएम पर पुलिस थाना जवाहर सर्किल के पास पहुंचे, जहां पर परिवादी नानगराम के साथ मोटरसाईकिल पर श्री इन्द्र सिंह कानि आये। परिवादी ने बताया कि अभी समय 12.16 पीएम पर मेरे मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल आया है जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी के मोबाईल नम्बर 88753–78858 से आरोपी श्री वेदप्रकाश कानि के मोबाईल नम्बर 86199–89432 पर समय 12.19 पीएम पर वार्ता करवाई, जिसको डिजिटल वॉईस रिकॉर्ड मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी नानगराम को डिजिटल वॉइर्स रिकॉर्ड मय मेमोरी कार्ड चालू कर आरोपीगण श्रीमती संगीता महिला कानि व श्री वेदप्रकाश कानि को रिश्वती राशि देने के

लिए रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय शेष जाप्ता व दोनो स्वतंत्र गवाहान् अपनी अपनी उपस्थिति का छुपाव हासिल करते हुऐ पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर पूर्व जयपुर के आस–पास परिवादी के ईशारे के इन्तार में मुकिम हुए। समय 12.37 पर परिवादी श्री नानगराम ने स्वयं के मोबाईल नम्बर 88753–78858 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 7976956704 पर पूर्व निर्धारित कॉल कर ईशारा किया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक हमराही जाप्ता व स्तवंत्र गवाहान पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर पूर्व जयपुर आयुक्तालय परिवादी के पास पहुँची तथा परिवादी से वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित रखी तथा परिवादी नानगराम ने पुलिस थाना जवाहर सर्किल परिसर में ही एक वर्दी में खडे व्यक्ति के पास था तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान को बताया कि यह श्री वेदप्रकाश कानिस्टेबल है जिन्होने अभी अभी मेरे से 1000 रूपये प्राप्त कर लिये है। इतने में उक्त कानिस्टेबल ने अपने हाथ में से 500–500 रूपये के दो नोट जमीन पर फेक दिये। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं व हमराहियान का परिचय दिया जाकर उक्त कानिस्टेबल का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री वेदप्रकाश पुत्र श्री पूरण सिंह जाति प्रजापत उम्र 31 साल निवासी गांव बसईया तहसील नदबई जिला भरतपुर हाल निवासी– क्वार्टर नम्बर 23, पुलिस थाना आदर्श नगर परिसर जयपुर हाल कानिस्टेबल नम्बर 11210 पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर पूर्व जयपुर आयुक्तालय होना बताया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान शम्भुदयाल से जमीन पर पडे रिश्वती राशि 500–500 रूपये के 02 नोट उठवाये गये तथा पूर्व में कार्यालय में बनी फर्द पेशकशी से स्वतंत्र गवाहान से नोटो के नम्बर का मिलान करवाया तो उन्होने फर्द में अंकित नम्बरी नोट होना बताया, जिनको स्वतंत्र गवाहान श्री शम्भुदयाल के पास सुरक्षित रखवाये। इसके पश्चात परिवादी श्री नानगराम ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि श्रीमती संगीता महर महिला कानि ने भी मेरे से 3000 रूपये प्राप्त किये है जो पुलिस थाना के अन्दर कम्प्यूटर कक्ष में बैठी है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान एवं स्वतंत्र गवाहान एवं श्री वेदप्रकाश कानि को साथ लेकर पुलिस थाना जवाहर सर्किल के कम्पूयटर कक्ष में गई। जहां पर एक महिला कम्प्यूटर कक्ष पर कार्य कर रही थी। जिसकी तरफ परिवादी श्री नानगराम ने ईशारा कर बताया कि यही श्रीमती संगीता महर महिला कानि है जिन्होने अभी अभी मेरे से 3000 रूपये प्राप्त कर अपने कम्प्यूटर के पास रखे अखबार के नीचे टेबल पर रख लिये है। उक्त महिला कानिस्टेबल को मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं व हमराहियान एवं स्वतंत्र गवाहान का परिचय दिया तथा उक्त महिला कानिस्टेबल को नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्रीमती संगीता महर पत्नी श्री रामहंस मीणा जाति मीणा उम्र 31 साल निवासी ग्राम पोस्ट समलेटी तहसील महवा, जिला दौसा हाल निवासी– क्वार्टर नम्बर 04, पुलिस थाना सांगानेर जयपुर हाल कानिस्टेबल नम्बर 11185 पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर पूर्व जयपुर आयुक्तालय होना बताया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्रीमती संगीता महर को परिवादी श्री नानगराम से रिश्वत राशि लेने के बारे में पूछा तो आरोपियां श्रीमती संगीता महर एक दम घबराह गई तथा काफी देर तक कुछ नहीं बोली। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्रीमती संगीता महर को तसल्ली देकर पुनः पुछा तो उसने बताया कि मेरे पास श्री नानगराम का परिवाद जांच के लिए है जिसकी जांच मै कर रही हूँ कल नानगराम जी पुलिस थाना पर आये तथा मै कम्प्युटर पर काम कर रही थी तो मैने संतरी की डयुटी कर रहे श्री वेदप्रकाश को आगे कार्यवाही नहीं चाहने के संबंध में रिपोर्ट लिखाने के लिए कहा था। श्री वेदप्रकाश ने उससे रिपोर्ट लिखवाई। जो वेदप्रकाश के पास ही है। उसके बाद श्री नानगराम कब थाने से गये मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इसके पश्चात आज श्री नानगराम मेरे पास आये थे तथा मुझे कहा कि मैडम हमारे राजीनामा हो गया है तो मैने कहा कि आपने लिखकर दे दिया, ठीक है तो श्री नानगराम ने मुझे कहा कि मैडम मेरा काम हो गया है आप यह 3000 रूपये रख लो। मैने श्री नानगराम से कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं करी है इसने जबरदस्ती मेरे को दिये है। इस पर परिवादी श्री नानगराम ने आरोपिया श्रीमती संगीता महर महिला कानि की कही बातों का खंडन करते हुऐ कहा कि श्रीमती संगीता महर झूठ बोल रही है। मैने दिनांक 20.09.2023 को पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर में एक परिवाद श्री रामवतार सौलंकी के खिलाफ 10 हजार रू उधार के नही देने तथा मांगने

पर धमकी देने के कारण में दर्ज कराई थी, जिसकी जांच श्रीमती संगीता महिला कानि के द्वारा की जा रही है। इनके द्वारा मेरे से 500 रूपये दिनांक 20.09.2023 को रिश्वत के रूप में प्राप्त कर लिए तथा शिकायत का निस्तारण करने के लिए 5000/– रूपये मेरे से रिश्वत के मांग रही है इस प्रकरण में मेरे व रामवतार सौलंकी के दिनांक 21.9.2023 को राजीनामा भी हो चुका है। इसके पश्चात भी श्रीमती संगीता महिला कानि के द्वारा मेरे से रिश्वत मांगने के लिए बार बार फोन किया जा रहा था जिस पर मैने दिनांक 22.09.2023 को एसीबी कार्यालय उपस्थित होकर शिकायत दर्ज करवाई थी जिस पर इसी दिनांक 22.09.2023 को मांग सत्यापन करवाया गया तो मै पुलिस थाना जवाहर सर्किल पर आय जहां पर मुझे श्रीमती संगीता महर महिला कानि मिली तथा मेरे द्वारा दी गई शिकायत को आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने के संबंध में रिपोर्ट लिखवाने के लिए श्री वेदप्रकाश कानि को कहा, जिसने मेरे से पहले एक शराब की बोतल की मांग करी बाद में मैने नहीं देने के लिए कहा तो उसने मेरे से 2000 रूपये स्वयं व 2000 रूपये श्रीमती संगीता महिला कानि के लिए मांग करी। श्री वेदप्रकाश कानि के द्वारा की गई मांग में श्रीमती संगीता महिला कानि की भी सहमति थी। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री वेदप्रकाश से परिवादी श्री नानगराम से रिश्वत राशि लेने के संबंध में पूछा तो आरोपी श्री वेदप्रकाश गर्दन नीचे कर लिया तथा अपने हाथ के नाखून को आपस में रगडने लगा। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री वेदप्रकाश को तसल्ली देकर पुनः पुछा तो उसने कहा कि श्री नानगराम द्वारा पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर में परिवाद दर्ज करवाया था जिसकी जांच श्रीमती संगीता महर द्वारा की जा रही है कल दिनांक 22.09.2023 को यह पुलिस थाना में आये थे उस समय मेरी संतरी डयूटी थी तथा श्रीमती संगीता महर महिला कानि कम्प्यूटर पर बैठकर कार्य कर रही थी तो उन्होने मुझे श्री नानगराम से शिकायत पर आगे कार्यवाही नहीं करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखवाने के लिए कहा था तो मैने उक्त प्रार्थना पत्र लिखवाया था। मैने इनसे कोई रिश्वत राशि नहीं मांग करी। श्री नानगराम फौजी है इसलिये मैने इनसे मजाक में ही एक शराब की बोतल लाने के लिए कहा है। श्रीमती संगीता महर ने मुझे इनसे कोई रिश्वत राशि लेने के लिए नहीं कहा तथा न ही मैने कोई राशि ली। इस पर परिवादी ने आरोपी श्री वेदप्रकाश द्वारा कही बातो का खंडन करते हुऐ कहा कि यह झूठ बोल रहे है। मै कल दिनांक 22.09.2023 को पुलिस थाना जवाहर सर्किल आया था तो श्रीमती संगीता महर महिला कानि से मिला तो वो कम्प्यूटर पर कार्य कर रही थी तो उन्होने वेदप्रकाश कानि को मेरी शिकायत पर आगे कार्यवाही नहीं चाहने के संबंध में रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहा, जिस पर श्री वेदप्रकाश कानि ने मेरे से रिपोर्ट लिखवाई तथा मेरे से एक शराब की बोतल की मांग करी तो मैने कहा कि शराब की बोतल देने के लिए मना किया तो उन्होने मेरे से 2000 रूपये स्वयं के लिए व 2000 रूपये श्रीमती संगीता महर के लिए मांग की। इसके पश्चात आज दिनांक 23.09.2023 को श्री वेदप्रकाश ने अपने मोबाईल नम्बर 86199–89432 से मेरे मोबाईल नम्बर 88753–78858 पर मिस कॉल किया जिस पर मैने समय 12.19 पीएम पर मैने उसे फोन किया, जिसको वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। इसके पश्चात मै पुलिस थाना जवाहर सर्किल पर जाकर श्रीमती संगीता महर से मिला तो उन्होने मेरे से 3000 रूपये प्राप्त किये। इसके पश्चात वेदप्रकाश कानि ने मुझे पुलिस थाना परिसर मे साईड में ले जाकर 1000 रूपये प्राप्त कर लिये। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री नानगराम की कही बातों की ताईद करने के लिए परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष एक साफ नए प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी श्री वेदप्रकाश कानि न 11210 के दांहिने हाथ की अगुंलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क VR–1 व VR–2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त विधि से ही दूसरे साफ नए प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमे एक चम्मच

सोडियम कार्बोनेट पॉउडर डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण में आरोपी वेदप्रकाश कानि न 11210 के बांये हाथ की अगुंलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना बताया। उक्त धोवन को दो कांच की साफ शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकर सील चस्पा किया गया तथा मार्क VL–1 व VL–2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त विधि से ही दुसरे साफ नए प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पॉउडर डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण में आरोपियां श्रीमती संगीता महर मकानि न 11185 के दाहिने हाथ की अगुंलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना बताया। उक्त धोवन को दो कांच की साफ शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकर सील चस्पा किया गया तथा मार्क SR–1 व SR–2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त विधि से ही दुसरे साफ नए प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पॉउडर डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण में आरोपियां श्रीमती संगीता महर मकानि न 11185 के बांये हाथ की अगुंलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया। उक्त धोवन को दो कांच की साफ शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकर सील चस्पा किया गया तथा मार्क SL–1 व SL–2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने कम्प्यूटर के पास टेबल की स्वतंत्र गवाह श्री सोहनलाल से तलाशी लिवाई गई तो टेबल पर 500–500 रूपये के 06 नोट मिले, उक्त राशि स्वतंत्र गवाहान श्री सोहनलाल व श्री शम्भुदयाल से पूर्व में कार्यालय में बनाई गई फर्द से मिलान करवाया गया तो उक्त 500–500 रूपये के 06 नोट का नम्बर हुबहू होना पाया गया, जिनको स्वतंत्र गवाहान श्री सोहन लाल के पास सुरिक्षत रखवाये। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपियां श्रीमती संगीता महर के द्वारा रिश्वत राशि 3000 रूपये प्राप्त कर कम्पयूटर के पास अखबार के नीचे टेबल पर रखे थे, उक्त रिश्वत राशि रखे स्थान का धोवन लिये जाने हेतु एक साफ रूई के पोहे को रिश्वत राशि बरामद हुऐ स्थान पर रगडा गया तथा उक्त विधि से ही दुसरे साफ नए प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजेबल गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पॉउडर डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण में रूई के पोहे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया। उक्त धोवन को दो कांच की साफ शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकर सील चस्पा किया गया तथा मार्क T–1 व T–2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त रूई के पोहे को सुखाकर एक प्लास्टिक की थैली में लपेटकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाया जाकर एक सफेद कपडे की थैली में सील्ड कर मार्क C दिया जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री वेदप्रकाश द्वारा प्राप्त किये गये रिश्वती राशि 1000 रूपये स्वतंत्र गवाह श्री शम्भुदयाल के पास सुरिक्षत रखी को पुनः स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया गया तो भारतीय चलन मुद्रा के 500–500 रूपये 02 नोट राशि 1000 रूपये होना बताया। जिनको स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में कार्यालय में बनाई गई फर्द से मिलान करवाया गया तो उक्त 500–500 रूपये के नोटं का नम्बर हुबहू होना पाया गया। उक्त बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपये के 02 नोट कुल 1000/– रूपयों को एक सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर संबंधितो के

हस्ताक्षर करवाकर नोटों को कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपियां श्रीमती संगीता महर द्वारा प्राप्त किये गये रिश्वती राशि 3000 रूपये जो स्वतंत्र गवाह श्री सोहनलाल आर्य के पास सुरक्षित रखी को पुनः स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया गया तो भारतीय चलन मुद्रा के 500–500 रूपये के 06 नोट राशि 3000 रूपये होना बताया। जिनको स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में कार्यालय में बनाई गई फर्द से मिलान करवाया गया तो उक्त 500–500 रूपये के नोट का नम्बर हुबहू होना पाया गया, उक्त बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपये के 06 नोट कुल 3000/– रूपयों को एक सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर नोटों को कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपियां श्रीमती संगीता महर से परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद व अन्य दस्तावेज के बारे में पूछा तो आरोपियां श्रीमती संगीता महर महिला कानि ने कम्प्यूटर कक्ष में रखी अलमारी में होना बताया, जिसको मन् पुलिस निरीक्षक ने पेश करने के लिए कहा तो उसने स्वतत्रं गवाहान के समक्ष कम्पयूटर कक्ष में रखी लौहे की अलमारी से परिवादी श्री नानगराम का प्रार्थना पत्र व शिकायत संख्या 278770042300512 दिनांक. 20.09.2023 प्रस्तुत की, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त परिवाद में शिकायतकर्ता श्री नानगराम है तथा शिकायत संख्या 278770042300512 दिनांक. 20.09.2023 है। जिस पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाया जाकर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी द्वारा दिनांक 22.09.2023 को आगे कार्यवाही नहीं चाहने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया उसके बारे में पूछने पर आरोपिया श्रीमती संगीता महर महिला कानि ने बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र श्री वेदप्रकाश कानि ने लिखवाया जो उसके पास ही है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने वेदप्रकाश कानि से परिवादी के उक्त प्रार्थना पत्र के बारे में पूछा तो उसने कम्प्यूटर कक्ष में रखी लौहे की अलमारी से स्वतंत्र गवाहान के समक्ष निकालकर प्रस्तुत किया,जिसका अवलोकन करने पर उक्त प्रार्थना पत्र परिवादी श्री नानगराम द्वारा लिखना पाया गया, जिस पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाया जाकर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिये गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपिया श्रीमती संगीता महर व आरोपी श्री वेदप्रकाश से उक्त अलमारी किसके कब्जे में रहती है इसके बारे में पूछा तो दोनो ने ही बताया कि उक्त अलमारी पुलिस थाना की है जिसमें थाना का रिकॉर्ड रहता है। पुलिस थाना में पदस्थापित सभी कर्मचारी इसमें सामान रखते है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष लौहे की अलमारी की सर सरी तौर पर तलाशी ली गई तो पुलिस थाना के रिकॉर्ड के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक दस्तावेज व राशि नहीं मिली। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपियां श्रीमती संगीता महर महिला कानि व आरोपी श्री वेदप्रकाश कानि को आवाज नमूना हेतु पृथक पृथक फर्द मूर्तिब कर आवाज का नमूना देने के लिए कहा तो आरोपियां श्रीमती संगीता महर महिला कानि व आरोपी श्री वेदप्रकाश कानि ने पृथक पृथक अंकित किया कि मै स्वैच्छा से मेरी आवाज का नमूना नही देना चाहता हूँ। उक्त आवाज नमूना की फर्द को शामिल कार्यवाही किया गया एवं आरोपिया श्रीमती संगीता महर महिला कानि पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर पूर्व आयुक्तालय जयपुर व आरोपी श्री वेदप्रकाश कानि पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर पूर्व आयुक्तालय जयपुर का जुर्म अन्तर्गत धारा 7 व 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अपराध से आगह कर धारा 41 सीआरपीसी में नियत प्रावधानों के अनुसार जरिये फर्द पृथक–पृथक से गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका एंव हालात मौका घटनास्थल मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके पश्चात दिनांक 24.09.2023 को परिवादी श्री नानगराम व स्वतंत्र गवाहान श्री सोहनलाल व श्री शम्भुदयाल की उपस्थिति में दिनांक 22.09.2023 की मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 23.09.2023 की मोबाईल पर हुई वार्ता एवं रिश्वत राशि लेन–देने के समय हुई वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट बनाई जाकर पृथक पृथक सीडीयॉ तैयार कर सील मोहर की गई व मेमोरी कार्ड 32 जीबी sandisk कम्पनी को प्लास्टिक के मेमोरी कार्ड कवर में रखकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क SD अंकित कर वजह सबूत जप्त किया गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द को शामिल

पत्रावली किया गया। फर्द नमूना सील मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई व जप्तशुदा आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाया गया।

अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही, फर्द पेशकशी एवं सपुर्दगी नोट, फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द गिरफ्तारी, फर्द नक्शा मौका एंव हालात मौका घटनास्थल, फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से पाया गया कि आरोपिया श्रीमती संगीता महर हाल कानिस्टेबल नम्बर 11185 पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर पूर्व व आरोपी श्री वेदप्रकाश हाल कानिस्टेबल नम्बर 11210 पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर पूर्व द्वारा लोकसेवक होते हुये अपनी पदीय स्थिति एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग कर आपसी मिलिभगत करते हुऐ परिवादी श्री नानगराम द्वारा पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर पूर्व जयपुर में प्रस्तुत शिकायत का राजीनाम होने के पश्चात निस्तारण करने की एवज दिनांक 22.09.2023 को मांग सत्यापन के दौरान श्री वेदप्रकाश कानि. द्वारा स्वयं के लिए 2000 रू एवं श्रीमती संगीता कानि0 के लिए 2000 रूपये रिश्वत की मांग करना तथा दिनांक 23.09.2023 को अपनी मांग के अनुसरण में रिश्वत राशि लेन–देन के समय आरोपिया श्रीमती संगीता महर मकानि न 11185 द्वारा रिश्वती राशि 3000 रूपये व आरोपी श्री वेदप्रकाश कानि न 11210 द्वारा 1000 रूपये प्राप्त करना पाये जाने से आरोपिया श्रीमती संगीता महर पत्नी श्री रामहंस मीणा जाति मीणा उम्र 31 साल निवासी ग्राम पोस्ट समलेटी तहसील महवा, जिला दौसा हाल निवासी– क्वार्टर नम्बर 04, पुलिस थाना सांगानेर जयपुर हाल कानिस्टेबल नम्बर 11185 पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर पूर्व जयपुर आयुक्तालय व आरोपी श्री वेदप्रकाश पुत्र श्री पूरण सिंह जाति प्रजापत उम्र 31 साल निवासी गांव बसईया तहसील नदबई जिला भरतपुर हाल निवासी– क्वार्टर नम्बर 23, पुलिस थाना आर्दश नगर परिसर जयपुर हाल कानिस्टेबल नम्बर 11210 पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर पूर्व जयपुर आयुक्तालय के विरूद्व अपराध धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर प्रेषित है।

(रजनी मीणा)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर नगर–चतुर्थ जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रजनी मीणा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ, जयपुर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भा.द.स. में आरोपीगण 1.श्रीमति संगीता महर पत्नी श्री रामहंस मीणा, निवासी ग्राम पोस्ट समलेटी तहसील महुवां जिला दौसा हाल निवासी-कवार्टर नम्बर 04, पुलिस थाना सांगानेर जयपुर हाल कानि0 नं0 11185 पुलिस थाना जवाहर सर्किल जयपुर पूर्व आयुक्तालय एवं 2. श्री वेदप्रकाश पुत्र श्री पूरण सिंह निवासी बसईया तहसील नन्दबई जिला भरतपुर, हाल निवासी कवार्टर नम्बर 23 पुलिस थाना आदर्श नगर परिसर जयपुर हाल कानि0 नं0 11210 पुलिस थान जवाहर सर्किल जयपुर पूर्व आयुक्तालय जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 260/2023 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

24/9/23

(कालू राम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस-II
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांकः- 2862-65 दिनांक 24.09.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ, जयपुर।

24/9/23

उप महानिरीक्षक पुलिस-II
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।